

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा
प्रबंध मंडल की 111 वीं बैठक, 01 अप्रैल, 2025
कार्यवाही विवरण

प्रबंध मण्डल की 111वीं बैठक दिनांक 01 अप्रैल, 2025 को विश्वविद्यालय के जयपुर स्थित क्षेत्रीय केन्द्र पर आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता माननीय कुलपति डॉ० कैलाश सोडाणी द्वारा की गई, बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे :-

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. प्रो० जे०पी० शर्मा
पूर्व कुलपति सुखाडिया वि०वि०, उदयपुर | सदस्य |
| 2. प्रो० सुमिता कच्छावा
आचार्य बॉटनी विज्ञान
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर। | सदस्य |
| 3. प्रो० नवल किशोर
इंदिरा गांधी रा०मु० वि०वि० नई दिल्ली। | सदस्य
(ऑन लाईन उपस्थित) |
| 4. प्रो० बी० अरूण कुमार
निदेशक, योजना विकास एवं संकाय
वमखुवि, कोटा। | सदस्य |
| 5. प्रो० सुबोध कुमार,
आचार्य
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा। | सदस्य |
| 6. मुकेश कुमार शर्मा
संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग
(प्रतिनिधि प्रमुख शासन सचिव, उ. शिक्षा विभाग राज० सरकार) | सदस्य |
| 7. डॉ० श्रीमती रश्मि बोहरा
निदेशक, क्षे.कें., उदयपुर। | सदस्य |
| 8. महेश चंद मीना
नियंत्रक (वित्त)
व०म०खु०वि०, कोटा। | विशेष आमंत्रित |
| 9. श्रीमती सरिता
कुलसचिव, वमखुवि, कोटा | सचिव |

आवश्यक गणापूर्ति की सुनिश्चितता होने के बाद आसन की अनुमति से कुलसचिव द्वारा सदन के समक्ष प्रबंध मंडल की बैठक आयोजन के सम्बन्ध में संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा विभाग से प्राप्त पत्र संख्या प.8 (8)शि.4/2022/00297 दिनांक 01 अप्रैल 2025 प्रस्तुत करते हुए सदन को अवगत करवाया कि राज्य सरकार के पत्र में निर्देशित किया गया है कि "नियमित कुलपति की नियुक्ति के लिए खोजबीन समिति के लिए विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड द्वारा एक सदस्य के मनोनयन के लिए एकल एजेंडा प्रस्तुत करने हेतु प्रबंध मंडल की बैठक आयोजित किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

उक्त जानकारी एवं पत्र के अवलोकन उपरान्त सदन द्वारा अन्य एजेंडा बिंदुओं स्थगित करते हुए प्रस्ताव संख्या 111/04 पर ही कार्यवाही का निर्णय किया गया।

प्रस्ताव संख्या 111/04 :-

राजभवन से प्राप्त पत्र संख्या 1177 दिनांक 05 मार्च 2025 के क्रम में कुलपति खोजबीन समिति में विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल द्वारा नामित सदस्य का नाम निर्धारित किए जाने का प्रस्ताव।

निर्णय:-वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय अधिनियम 1987 के चैप्टर 04 में लिखित प्रावधान संख्या 8(3) एवं 8(4) में कुलपति खोजबीन समिति के गठन के सम्बन्ध में राजभवन से प्राप्त पत्र का अवलोकन करते हुए विश्वविद्यालय अधिनियम में विहित प्रावधान के तहत प्रबंध मंडल द्वारा कुलपति खोजबीन समिति के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो० नन्द किशोर पांडेय को सर्वसम्मति से मनोनीत किया गया।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक सम्पन्न हुई।


कुलसचिव
एवं सचिव, प्रबंध मंडल